प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 95/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Jaywant Bherviya Add. 29, Mahaveer nagar, New Bhupalpura, Udaipur
.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बड़गांव, उदयपुर
.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 27/08/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329295131080043 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकरी बड़गांव द्वारा दिनांक 21.05.24 को पारित निर्णय मय सम्पूर्ण पत्रावली तथा उपखण्ड कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1334544640 दिनांक 30.07.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/95/24/929–30 दिनांक 30.07.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सूअ/2005/24/2543 दिनांक 27.08.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ऑनलाईन आर.टी.आई पोर्टल पर कार्यालय हाजा में पदस्थापित पूर्व उपखण्ड अधिकारी श्री रमेश चन्द्र बहेड़िया एवं वर्तमान अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता दोनो की आई.डी. मैप होने से वर्तमान अधिकारी ही एस. एस.ओ. आई.डी. पर कोई आवेदन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। उक्त तथ्य सामने आने पर समस्या के निवारण हेतु श्रीमान के कार्यालय में सम्पर्क करने पर आर.टी.आई. हेल्प डेस्क से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके उपरान्त आर.टी.आई. हेल्पडेस्ट को मेल किया गया है परन्तु समाधान नहीं हो पाया है। इस कारण उक्त प्रार्थी को समय से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। प्रार्थी द्वारा श्रीमान के कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन के बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचना के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्रसु/सुअप्र/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 12.10.18 के अनुसार "यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू न होकर, उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।" जिसमें प्रार्थी न्यायालय की पत्रावली

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

की प्रमाणित प्रति चाहने हेतु रेवेन्यु कोर्ट मैन्युअल के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन कर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 28.06.2024 को ऑनलाईन आवेदन किया गया। प्रत्यर्थी का कथन है कि ऑनलाईन आर.टी. आई पोर्टल पर दो लोक सूचना अधिकारीयों की आई.डी. मैप होने की वजह से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस वजह से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्रसु/सुअप्र/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 12.10.18 का उल्लेख करते हुए रेवेन्यु कोर्टस् मेन्युअल के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन कर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु कहा गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ऑनलाईन आर.टी.आई पोर्टल पर दो लोक सूचना अधिकारियों की आई.डी. मैप होना प्रत्यर्थी के कार्यालय की प्रशासनिक कठिनाई है जिसको प्रशासनिक ढंग से दूर किया जा सकता है, इन कठिनाइयों को आधार बताकर अधिनियम 2005 के प्रावधानों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्रसु/सुअप्र/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 12.10.18 **"यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू न होकर, उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।"** का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त परिपत्र प्रमाणित प्रतिलिपियां का शुल्क संदाय करने के संबंध में है ना कि कोई विशेष अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है ना ही अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने के उपरांत अपीलार्थी को सूचना के संबंध में कोई विनिश्चय दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बड़गांव को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना नियमानुसार इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते है कि ऑनलाईन आर.टी.आई पोर्टल को नियमित रूप से अद्यतन करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बड़गावं को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर